न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–21/2022 (2022/288) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–नारायण लाल पिता बरदा गुर्जर निवासी गुर्जरो का गुढा वार्ड न. 2 राजनगर, राजसमंद
2–प्रेमशंकर पिता हजारी गुर्जर निवासी कोलियो की भागल, साकरोदा जिला राजसमंद
3–हीरालाल पिता चतरू गुर्जर निवासी नाडोला की भागल साकरोदा, जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

बनाम

1–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित — प्रार्थी अधिवक्ता
1. जाकिर हुसैन–

दिनांक–08.02.2023

निर्णय

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम झलामली पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी में खाता संख्या 130 में अंकित आराजी संख्या 1209/598 रकबा 2.97 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित प्रार्थीगण की कृषि आराजियात मे आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम छातो की सरहद में स्थित बिलानाम गै.मु. रास्ता आराजी संख्या 436 मे से होकर ग्राम छातोल में स्थित बिलानाम आराजी संख्या 435 रकबा 3.18 है0 भूमि में स्थित 30 फीट चौड़ा रास्ता ही है। प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजियात में से इसी रास्ते से आवगामन कर अपने खेतो में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे है। प्रार्थीगण के आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही है प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में सुविधा की दृष्टि से ब्ल्यू लाईन से प्रदर्शित किया गया है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की ग्राम झलामली की आराजी संख्या 1209/598 रकबा 2.97 है0 भूमि में आवागमन का रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 435 रकबा 3.18 है0 में 30 फीट चौड़ाई में बिलानाम सरकारी रास्ता दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर से राशि विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई जिसमें तहसीलदार रायपुर द्वारा अंकन किया कि ग्राम झलामली के आराजी नम्बर 1209/598 रकबा 2.97 हेक्टयर भूमि नारायण लाल पिता बरदा गुर्जर साकिन राजनगर, प्रेमशंकर पिता हजारी 1/5 गुर्जर हीरालाल पिता चतरू 3/5 गुर्जर साकरोदा में नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड है जमाबन्दी की प्रति संलग्न है। उक्त खसरा नम्बर 1209/598 पास के ग्राम छातोल की सीमा पर स्थित होकर छातोल के

बिलानाम खसरा नम्बर 435 में रास्ता चाहा गया है व उक्त खसरा में छातोल से नाबरिया जाने वाला कच्चा रास्ता गुजरता है जो रेकार्ड में दर्ज नही है। उक्त खसरा नम्बर 1209/598 के दक्षिण की तरफ स्थित खसरानम्बर 732, 763, 764 है उक्त खातेदारो द्वारा भी पूर्व में प्रकरण संख्या 19/22 से दर्ज होकर विचाराधीन है जिसमें भी इसी खसरा नम्बर 435 मे से रास्ता चाहा गया है जिसके रास्ता 435 में प्रस्तावित किया गया जो झलामली के खसरा नम्बर के समीप स्थित है जिससे आगे का रास्ता का प्रस्ताव तैयार किया जिसमें 0.01 है0 भूमि रास्ता उपयोग में आयेगी जिसको प्रस्तावित की गई। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है तथा न्यूनतम दुरी का रास्ता भी यही है। उपरोक्त प्रस्तावित भूमि गांव से 1 किलोमीटर दूर स्थित होकर अंसिचित है। उक्त प्रस्तावित भूमि के रास्ते उपयोग की भूमि 0.01 है0 की डीएलसी दर से राशि इस प्रकार है। ग्राम छातोल की अंसिचित भूमि की दर 206908 रूपये प्रति है0 होने से 0.01 है0 भूमि की कीमत 2070 रूपये बनती है नियमानुसार दुगुना करने पर 4140 रूपये रूपये बनती है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी की खातेदारी में आवागमन करने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नही है प्रार्थी वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन कर रहे है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग हेतु ली जा रही भूमि की नियमानुसार भूमि कीमत देने को भी तैयार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए की मूल मंशा यही है जहां प्रार्थी कई वर्षो से आवागमन कर रहे है और अन्य कोई विकल्प नही हो तो ऐसे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करा सकते है। पूर्व में प्रकरण संख्या 19/2022 में जारी आदेश की पालना हो चुकी है तथा प्रार्थी की खातेदारी काफी पुरानी है जिससे वर्षो से इसी जगह से होकर आवागमन करने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षी की ओर से भी कोई आपत्ति नही की एवं आराजी संख्या 435 के नये नम्बर 929/435, 930/435, 928/435 दर्ज होने से नये नम्बरो के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झलामली तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1209/598 रकबा 2.97 है0 में आवागमन हेतु ग्राम छातोल में स्थित विपक्षी की आराजी संख्या 929/435 रकबा 0.23 है0 किस्म गै.मु. रास्ता से विपक्षी की आराजी संख्या 928/435 रकबा 2.00 है0 मे से रकबा 0.01 है0 भूमि (यानि 100 वर्गमीटर भूमि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1209/598 की पहुँच तक) जिसकी डीएलसी दर 206908/–रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 2070/–रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 4140/–रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–राजेश सुवालका, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–21 / 2022 (2022 / 288) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–नारायण लाल पिता बरदा गुर्जर निवासी गुर्जरो का गुढा वार्ड न. 2 राजनगर, राजसमंद
2–प्रेमशंकर पिता हजारी गुर्जर निवासी कोलियो की भागल, साकरोदा जिला राजसमंद
3–हीरालाल पिता चतरू गुर्जर निवासी नाडोला की भागल साकरोदा, जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

बनाम

1–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :–तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झलामली तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 1209 / 598 रकबा 2.97 है0 में आवागमन हेतु ग्राम छातोल में स्थित विपक्षी की आराजी संख्या 929 / 435 रकबा 0.23 है0 किस्म गै.मु. रास्ता से लगता हुआ विपक्षी की आराजी संख्या 928 / 435 रकबा 2.00 है0 मे से रकबा 0.01 है0 भूमि (यानि 100 वर्गमीटर भूमि प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1209 / 598 की पहुॅच तक) जिसकी डीएलसी दर 206908 / –रूपये प्रति हैक्टयर है जिससे 2070 / –रूपये राशि बनती है जिसका दुगुना करने पर 4140 / –रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका विपक्षी खातेदार को भुगतान करने पर प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)